



MP JUDICIAL SERVICE MAINS EXAMINATION, 2016

CIVIL LAW

CONSTITUTION OF INDIA / भारत का संविधान

- 1.(a) Describe the terms "Equality before Law" and "Equal Protection of laws" as provided in the constitution of India, State the exception to it also? "विधि के समक्ष समानता" एवं "विधि का समान संक्रमण" निबन्धनों की समीक्षा करे जैसा भारतीय संविधान में प्रावधानित है। इनके अपवाद भी बतायें।
- 1(a) Discuss the freedom of speech and expression. Does it include freedom of press also? What are the restriction on the exercise of this right? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर चर्चा करें। क्या इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। इस अधिकार के लागू करने में क्या-क्या प्रतिबंध है।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

- 2.(a) Explain the provisions about disposal of the suit at first hearing under order 15 of Civil Procedure Code, 1908?
प्रथम सुनवाई में वाद के निपटारे के संबंध में आदेश 15 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
- 2.(b) What do you understand by "Set-off"? What are the essentials of "Set-off"?
"मुजरा" क्या है? मुजरा के सारतत्व क्या है?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882 / संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

- 3.(a) Explain the doctrine of election along with its exception.
चयन के सिद्धान्त की व्याख्या उसके अपवादों सहित करें।
- 3.(b) What is fraudulent transfer?
कपटपूर्ण अंतरण से क्या आशय है?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

- 4.(a) What is ratification of Contract ? Explain its essential elements?
संविदा का परिसोधन (परिहार) क्या है? इसके आवश्यक तत्व बताइये।
- 4.(b) What do you mean by "Consideration"? Is an agreement made without consideration valid?
प्रतिफल से आप क्या समझते हो? क्या प्रतिफल के बिना किया गया करार वैध है?

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963 / विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

- 5.(a) Explain the power of the Court to award compensation in certain case and Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc under the act?
अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय मामलों में क्षतिपूर्ति के अवार्ड (अधिनिर्णय) करने व आधिपत्य, विभाजन, अग्रिमधन, वापसी, आदि के अनुतोष स्वीकार करने के न्यायालय के अधिकारों की व्याख्या करें।
- 5.(b) Explain the provisions regarding rescission of contracts for the sale or lease of immovable property, where the specific performance of the contract has been already decreed.
स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिये जाने के लिये ऐसी संविदाओं का जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो के विखंडन से संबंधित प्रावधानों को समझाइये।

LIMITATION ACT, 1963 / परिसीमा अधिनियम, 1963

6. Distinguish between Limitation and Prescription.
परिसीमा व चिरभोग में भेद बतायें।

MIXED / मिश्रित

7. Write short-notes on:- / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-
1. Legal Representative. / विधिक प्रतिनिधि





2. "Public interest litigation". / "लोकहितवाद"
3. "Privileged communication". / "विशेषाधिकृत संसूचनाये"

SECOND PART

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following social topics:
निम्नलिखित सामाजिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:
 - (i) Problem faced by Transgenders in India and measures to improve their social and economic status.
भारत में किन्नरों की समस्याएं जिनका वे सामना करते हैं एवं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के उपाय।
 - (ii) Swachh Bharat Abhiyan
स्वच्छ भारत अभियान

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following legal topics:-
निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:
 - (i) Cyber Crime in India.
भारत में साइबर अपराध
 - (ii) Rights of arrested person.
गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अधिकार।

3. Summarize the one of the following English/Hindi passage
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए-
Our Motherland India was slave under the British rule for long years during which Indian people were forced to follow the laws made by British rule. After long years of struggle by the Indian freedom fighters, finally Indian became independent on 15th of August in 1947. After two and half years later Indian Government implemented its own Constitution and declared India as the Democratic Republic. Around two years, eleven month and eighteen days was taken by the Constituent Assembly of India to pass the new Constitution of India which was done on 26th of January in 1950/ After getting dedeclared as a Sovereign Democratic Republic, people of India started celebration 26th of January as a Republic Day every year.

Celebrating Republic Day every year is the great honour for the people living in India as well as people of India in abroad. It is the day of great importance and celebrated by the people with big joy and enthusiasm by organizing and participation in various events. People wait for this day very eagerly to become part of its celebration again and again Preparation work for the republic day celebration at Rajpath starts a month before and way to India Gate becomes close for common people and security arrangement done a month before to avoid any type of offensive activities during celebration as well as safety of the people.

A big celebration arrangement in the national capital, New Delhi and State capitals taken place all over the India celebration starts with the National Flag unfolding by the President of India and singing National Anthem. Following this Indian army parade, state wise jhankis, march-past, awards distribution, etc activities taken place. At this day, the whole environment becomes full of the sound of National Anthem "Jana Gana Mana"

Students of schools and colleges are very keen to celebrate this event and starts preparation around a month before. Students performing well in the academic, sports or other fields of education are honoured with the awards, prizes and certificates on this day. Family people celebrate this day with their friends, family and children by participation in activities organized at social places. Every people become ready in the early morning before 8 am to watch the celebration at Rajpath, New Delhi in the news at TV. At this day of great honour every Indian people should sincerely promise to safeguard the Constituion, maintain pace and harmony as well as support in the development of country.

हमारी मातृभूमि लंबे समय तक ब्रिटिश शासन की गुलाम रही जिसके दौरान भारतीय लोग ब्रिटिश शासन द्वारा बनये गये कानूनों को मानने के लिए मजबूर थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लम्बे संघर्ष के बाद अंततः 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली। लगभग





ढाई साल बाद भारत ने अपना संविधान लागू किया और खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद 28 जनवरी, 1950 को हमारी संसद द्वारा भारतीय संविधान को पास किया गया। खुद को संप्रभू, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित करने के साथ ही भारत के लोगों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

भारत में निवास कर रहे लोगों और विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए गणतंत्र दिवस उत्सव मनाना सम्मान की बात है। इस दिन की खास महत्त्वता है और इसमें लोगों द्वारा कई सारे क्रियाकलापों में भाग लेकर और उसे आयोजित करके पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इसका बार-बार हिस्सा बनने के लिए लोग इस दिन का बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और इस दौरान सुरक्षा कारणों से इंडिया गेट पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है जिससे किस तरह की आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। इससे उस दिन वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है।

पूरे भारत में इस दिन सभी राज्यों की राजधानियों और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी उस उत्सव पर खास प्रबंध किया जाता है। कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रपति द्वारा झंडा रोहण और राष्ट्रगान के साथ हाता है। इसे बाद तीनों सेनाओं द्वारा परेड, राज्यों की झांकियों की प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण, मार्च पास्ट आदि क्रियायें होती है और अंत में पूरा वातावरण जन गण मन गण से गुंज उठता है।

इस पर्व को मनाने के लिये स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बेहद उत्साहित रहते हैं और इसकी तैयारी एक महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस दिन विद्यार्थियों का अकादमी में, खेल या शिक्षा के दूसरे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार, इनाम तथा प्रमाण पत्र आदि से सम्मान किया जाता है। पारिवारिक लोग इस दिन अपने दोस्त, परिवार और बच्चों के साथ सामाजिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर मनाते हैं। सभी सुबह 8 बजे से पहले राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम को टी.वी. पर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दिन सभी को ये वादा करना चाहिये कि वो अपने देश के संविधान की सुरक्षा करेंगे, देशकी समरसता और शांति को बनाए रखेंगे साथ ही देशके विकास में सहयोग करेंगे।

4. Translate the following 15 Sentences into English:-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :-

- (1) अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति एक कमजोर प्रकार की साक्ष्य है।
- (2) प्रायवेट प्रतिरक्षा का अभिवचन अटकलों एवं अंदाजों पर आधारित नहीं हो सकता।
- (3) चिकित्सकीय अभिमत केवल तब इम्प्लिट किया जा सकता था, जब हाई स्कूल या समकक्ष प्रमाण-पत्र या विद्यालय का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता।
- (4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध का संज्ञान केवल व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर लिया जा सकता है।
- (5) अभियोजन अपना ममला समस्त संदेहों से परे प्रमाणित करने में असफल रह है।
- (6) इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बजाय क्यों न हम इनमक काम करने का समय कम कर दें?
- (7) चोरों ने पैसे ढूँढने के लिये मेज की सारी दराजें खोल डाली।
- (8) जब पिताजी विदेश में थे, वे हमारे साथ चिट्ठी और फोन से सम्पर्क करते थे।
- (9) नई सरकार ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा किया।
- (10) लगता है कि बारिश होगी तुम्हें छाता लेकर जाना चाहिए।
- (11) यद्यपि दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन भेजे जाने में विलम्ब कारित हुआ था परन्तु उससे अपीलार्थीगण को कोई भी गंभीर हानि कारित नहीं हुई है।
- (12) मेरी घड़ी एक घण्टे में पांच सेकण्ड पीछे हो रही है।
- (13) यह भूला नहीं जा सकता कि कानून का निर्वचन, न्याय के ध्येय को अग्रसर करने के लिए किया जाना चाहिए।
- (14) अनिवार्य प्रावधान का पालन न किये जाने के प्रकाश में विक्रय को शून्य समझा जाना चाहिए था।
- (15) तथ्य का छिपाव न्यायालय के साथ कपठ करने की कोटि में आता है।

5. Translate the following 15 Sentences into Hindi :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए:-

- (1) Elected members should be allowed to carry on activities of society.
- (2) If the conduct of plaintiff entitles him to get the relief on perusal of the plaint, he should not be denied the relief.
- (3) 'Will' means legal declaration of testator with respect to his property desired by him to be carried into effect after his death.
- (4) Electric power companies are seeking to reduce their use of coal.
- (5) I don't think I shall get through all this work this afternoon.
- (6) I missed my stop. How long does it take to reach the next stop?
- (7) How long has it been since you gave up teaching at that school?
- (8) When he is in trouble, he always turns to his sister for help.
- (9) To investigate the incident would take us at least three weeks.
- (10) If my boy had not been killed in the traffic accident, he would be a college student now.
- (11) Powers of the High Court in a review are very much limited and the errors have to be apparent on the face of record.





- (12) Magistrate should mention the reason that why he has no option but to dismiss the complaint.
- (13) The grounds which are not subject matter of the case could not be permitted to raise.
- (14) Legislature while enacting provisions has complete knowledge of existing provision.
- (15) He was directed to stop the work immediately even though he ignored the notice and continued the illegal construction work.

THIRD PART

M.P. ACCOMODATION CONTROL ACT, 1961 / मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

- 1.(a) Describe the powers of Rent Controlling Authority.
भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकारों का उल्लेख कीजिये।
- 1.(b) Under what circumstances a sub-tenant be deemed to become a tenant?
किन दशाओं में एक उप-अभिधारी के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह अभिधारी है?

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959 / मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

- 2.(a) Which persons are called as Bhumiswami under the Madhya Pradesh Land Revenue Code?
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत भू-स्वामी किसे कहते हैं?
- 2.(b) Explain the provisions regarding disposal of holdings under section 177 of the M.P. Land Revenue Code, 1959?
धारा 177 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत खातों के निपटारे के प्रवधानों का वर्णन कीजिए?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

- 3.(a) Can the credit of a witness be impeached by the party who calls him? If yes, how? Explain with examples?
क्या जिस पक्ष ने साक्षी का बुलाया है उसके द्वारा साक्षी की विश्वसनीयता को चुनौती दी जा सकती है? यदि हां, तो कैसे? उदाहरण सहित समझाइये।
- 3.(b) When a person can prove admission in his favour? Explain with example.
कब एक व्यक्ति स्वीकृतियों को अपने पक्ष में साबित कर सकता है? उदाहरण सहित समझाइये।

INDIAN PENAL CODE, 1860 / भारतीय दण्ड संहिता, 1860

- 4.(a) What do you mean by "Common Intention"? How does it differ from "Common Object"?
"सामान्य आशय" से आप क्या समझते हैं? यह "सामान्य उद्देश्य" से किस प्रकार भिन्न है?
- 4.(b) What is Private defence? When does the right of private defence of the body extend to cause death?
प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है? शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है?

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 / दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

- 5.(a) Please discuss discharge and acquittal.
उन्मोचन व दोषमुक्ति की व्याख्या कीजिए।
- 5.(b) State briefly the provision related to section 357 of Cr.P.C. in the light of state amendment of Madhya Pradesh.
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधान का मध्यप्रदेश राज्य के संबंध संशोधन के प्रकाश में संक्षेप में वर्णन करिये।

NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT, 1881 / परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

- 6. How cognizance of offences can be taken under the negotiable instrument Act 1881? Explain power along with the provision as to the court within whose local jurisdiction, the offence under section 138 shall be inquired into and tried?
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान किस प्रकार लिया जा सकता है? उस न्यायालय की शक्तियों की प्रावधानों सहित व्याख्या करें जिसके स्थानीय क्षेत्राकारिता में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध की जांच और विचारण किया जायेगा।





MIXED / मिश्रित

7. Write short-notes on:- / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-
1. Tender of pardon. / क्षमा की निविदा
2. Expert opinion / विशेषज्ञ की राय
3. Judgment in rem / सर्वबन्धी निर्णय

FOURTH PART

1. Settle the issues on the basis of the pleadings given here under

PLAINTIFF'S PLEADINGS:- Plaintiff Ramraj, instituted a suit for recovery of Rs. 54,450/- against the defendant on the basis of a promissory note dated 6 May, 2012. It was averred in the plaint that the defendant being in need of money requested the plaintiff in the month of April, 2012 to give him a loan of Rs. 40,000/-. The plaintiff agreed and gave him a loan of Rs. 40,000/ on 6 May, 2012. After receiving the said amount in cash, the defendant executed a promissory note on the same day with a stipulation to repay the same on demand along with interest at the rate of 10% p.a. However the defendant failed to repay the amount despite several oral demands. A registered notice dated 15" April, 2015 was sent by the plaintiff to the defendant demanding repayment of the said amount. Despite receipt of the said notice, the defendant did not return the amount. Therefore, the plaintiff filed the suit for recovery of the aforesaid amount along with interest at the rate of 10%p.a.

DEFENDANT'S PLEADINGS :- The defendant in the written statement has denied that he had ever borrowed a sum of Rs. 40,000/- from the plaintiff and executed any promissory note on 6 May, 2012. It was alleged by him that the promissory note is a forged document. It was also alleged by him that the suit is filed by the plaintiff in collusion with his brother Netra Pal Singh, who is attesting witness to the promissory note.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवादक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन :- वादी रामराज ने प्रतिवादी के विरुद्ध प्रोमेसरी नोट दिनांक 06-05-2012 को आधार पर 54,450/- रुपये की वसूली हेतु वाद संस्थित किया। वादपत्र में यह कहा गया कि प्रतिवादी को धनराशि की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा अप्रैल 2012 में चालीस हजार रुपये ऋण देने का निवेदन किया गया। वीद तैयार हुआ तथा उसने प्रतिवादी को चालीस हजार रुपये का लोन दिनांक 06-05-2012 को दिया। उक्त राशि नगद प्राप्त करके प्रतिवादी ने एक प्रोमेसरी नोट संपादित किया जिसमें उल्लेखित था कि उक्त राशि मांग जाने पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ वापस करेगा। इसके बावजूद प्रतिवादी बार-बार मौखिक मांग किये जाने पर राशि वापस करने में असफल रहा। वादी द्वारा 15-04-2015 को प्रतिवादी को उक्त राशि को वापस भुगतान करने के लिये पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रतिवादी ने राशि वापस नहीं की। इसलिये वादी ने उपरोक्त राशि की 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन:- प्रतिवादी ने जवाबदावा में वादी से चालीस हजार रुपये ऋण लेने एवं दिनांक 06-05-2012 को प्रोमेसरी नोट संपादित करने से पूर्णतः इंकार किया। प्रतिवादी द्वारा यह आक्षेपित किया गया कि प्रोमेसरी नोट एक फर्जी दस्तावेज है। यह आक्षेप किया गया कि वादी ने अपने भाई नेत्रपालसिंह, जो प्रोमेसरी नोट का अनुप्रमाणन साक्षी है, के साथ दुरभिसंधि करके वाद प्रस्तुत किया है।

Farming of charges / आरोपों की विरचना

2. Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.

Prosecution case/allegations:- The Prosecution case in that complainant Amarsingh on 29-08-2016 Submitted a written application at city Kotwali in which it is mentioned that he has got a shop of motor parts in the name of Thakkar Automobiles situated at jagdev Talab. On 24-08-2016 at about 9:00 PM he went to his house after closing the shop. On 25-08-2016 at 9.00 AM when he opened the shop, he found that the motor parts were scattered. Two crown of GNA Company used in TATA vehicles costing Rs. 10,000/- were not found. On the basis of this report the crime No. 115/2016 under sections 457, 380 of IPC was registered. Site map was prepared. The disclosure statement of the accused was recorded on 08-09-2016 and pursuant to it, two crowns were seized from the house of the accused. The statements of the witnesses were recorded. After completion the investigation the charge sheet was filed in the Court of Jidicail Magistrate First Class.





Linking Laws

Link Life with Law

☎ : 773 774 6465

www.LinkingLaws.com



Comprehension Detail All State Judiciary Exam



Scan this QR Code to
Enrol the Linking Course

**Click the state which you want to get all information
related judiciary exams.**



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs

📱 🌐 📧 **Linking Laws**
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
📧 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये-

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :- अभियोजन का मामला यह है कि फरियादी अमरसिंह ने 29.08.2016 को सिटी कोतवाली में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ठक्कर ऑटोमोबाइल्स के नाम से मोटर पार्स की उसकी दुकान जागदेव तालाब में स्थित है। 24.08.2016 को लगभग 9:00 बजे रात्रि वह दुकान बंद करने के पश्चात् अपने घर चला गया था दिनांक 25.08.2016 को लगभग सुबह 9:00 बजे, जब उसने दुकान खोली तो यह पाया कि मोटरपार्स फैले हुए थे। जीएनए कंपनी के दो क्राउन जिनका उपयोग टाटा कंपनी के वाहनों में होता है तथा जिनकी कीमत 10,000/- रुपये थी, नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर अपराध सं. 115/2016 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अधीन दर्ज किया गया। नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियुक्त का प्रकटन कथन दिनांक 08.09.2016 को अभिलिखित किया गया। अभियुक्त का प्रकटन कथन दिनांक 08.09.2016 को अभिलिखित किया गया। उसके आधार पर दो क्राउन अभियुक्त के घर से जपत किए गए। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II) / निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q.3

Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

Plaintiff's Pleadings - Plaintiffs have filed a civil suit for declaration of ownership of the land survey no. 1946 area 5.266 hectares (hereinafter referred to as land under dispute or suit land) and also for permanent injunction against the defendant the Government of Madhya Pradesh, for restraining it from interfering with their possession. As per the pleadings of plaintiff Late 'A' was the owner as well as in possession of the suit land which was under his possession. Plaintiff no. 1 'A1' is the son and plaintiff no. 2 Mrs. 'A2' is the wife of late 'A'. 'A' died around 10 years back. After the death of 'A' his heirs became the owner of the land but the Patwari did not mutate the name of plaintiffs in revenue records. Land under dispute was wrongly recorded as Reserved Forest. Plaintiffs have also pleaded that they have filed an application for mutation in their favour but the same was rejected by the Tehsildar of Hamidganj. A notice under section 80 C.P.C. has been served with the collector but the State Government did not give the any reply. Therefore, this civil suit is filed. Plaintiffs are the owner as well as in possession of the suit land. Therefore, they be declared as the owner of the suit land and a permanent injunction be granted in their favour to restraining the defendants from interfering with their peaceful possession.

Defendant's Pleadings :- As per the written statement of defendant, plaintiffs are not the owner of the land under dispute. The suit land was declared as Reserved Forest by the notification no. 8894-408-Ten-68 dated 30-10-1968 and also notification published in the Gazette on 31-01-1969. Plaintiffs have no right over the suit land, therefore, suit shall be rejected. Defendant has not challenged the fact that plaintiffs are the heirs of late 'A'.

Plaintiff's Evidence :- As per oral evidence of Plaintiff Witness 1 Mrs. 'A2' and Plaintiff Witness-2 'A1' the land under dispute survey no. 1946 area 5.266 hectares situated at village Hamidganj District Satna was the property of late 'A' and his name was also recorded in revenue records. Plaintiffs have also filed documents Ex.P-1 to P-7 which are certified copies of Khasra Panchsala to support their case in which name of late 'A' was recorded. But they have failed to explain in their pleadings that how 'A' has got the ownership and possession over the suit land. In the cross examination PW-2 'A1', who is the son of late 'A', Patta of the suit land was granted to his father but plaintiffs have not produced the said Patta. Plaintiffs have also not produced any other documents to show the ownership of late 'A'. They have also not produced any document to show their possession over the suit land after the death of 'A'.

Defendant's Evidence:- Defendant Witness 'B', who is a State Government officer has supported the case of defendants in his oral evidence and also proved the documents filed by the defendants. Land under dispute was recorded as Government land in Khasra Panchsala of the year 2011-2012. He has also proved the Gazette notification and map of Forest Department to show that the land under dispute is already notified as Reserved Forest.

Arguments Plaintiff:- As per the arguments of plaintiffs Late 'A' was the owner as well as in possession of the suit land. Plaintiff no. 1 'A1' is the son and plaintiff no. 2 Mrs. 'A' is the wife of late



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s



'A' 'A' died around 10 years back. Because plaintiffs are the heirs of late 'A', therefore, they became the owner of the land after the death of 'A'. Plaintiffs are in the possession of the suit land.

Arguments Defendant :- Plaintiffs are not the owner of the land under dispute. The suit land was declared as Reserved Forest by the notification no. 8894-408-Ten-68 dated 30-10-1968 and also notification published in the Gazette on 31-01-1969. Plaintiffs have no right and possession over the suit land.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवागक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये - बादी के अभिवचन :- चादी के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1946 क्षेत्रफला 5.266 डेक्टेयर (एतद पश्चात् विवादित भूमि या वादभूमि के रूप में उल्लिखित) के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी म.प्र. शासन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है कि उसे उसके आधिपत्य में इस्तक्षेप करने से रोका जावे। वादी के अभिवचनों के अनुसार विवादित भूमि स्वर्गीय "ए" के स्वामित्व व आधिपत्य की थी। वादी . 1 "ए" मृतक "ए" का पुत्र एवं वादी कं. 2 श्रीमति "ए2" मृतक "ए" की पत्नी है। "ए" की मृत्यु बाद प्रस्तुति के लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। "ए" का नान वर्तमान राजस्व अभिलेख वर्ष 2014 के खसरा में दर्ज है। "ए" की मृत्यु के बाद वादीगण विवादित भूमि के स्वामी हुए, किन्तु पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में उनका नामांतरण नहीं किया गया। विवादित भूमि गलत रूप से रिजर्व फॉरेस्ट (संरक्षित वन) के रूप में दर्ज करा ली गई। वादीगण द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि उन्होंने नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो तहसीलदार इमीदगंज द्वारा गलत रूप से निरस्त कर दिया गया। धारा 80 व्य.प्र.सं. की नोटिस कलोकटर को तामील की गई थी, किन्तु म.प्र. शासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः यह व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण विवादित भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी हैं। अतः उन्हें विवादित भूमि का स्वामी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित भूमि पर वादीगण के शांतिपूर्ण आधिपत्य में इस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादी के अभिवचन :- प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण विवादित भूमि के स्वामी तथा आधिपत्यधारी नहीं हैं। विवादित भूमि, नोटिफिकेशन क्रमांक 8894-408-10-68, दिनांक 30/10/1968 तथा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 31/01/1969 के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट (संरक्षित वन) घोषित की गई है। वादीगण का विवादित भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है। अतः वाद निरस्त किया जावे। प्रतिवादी के द्वारा इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है कि वादी स्वर्गीय "ए" का उत्तराधिकारी है। वादी की साक्ष्य - बादी साक्षी क्रमांक 1 श्रीमति "ए2" तथा वादी साक्षी क्रमांक 2 "ए" के मौखिक कथनों के अनुसार विवादित भूमि सर्वे क्र. 1956 रकबा 5.266 हेक्टेयर स्थित ग्राम इमीदगंज जिला सतना मृतक "ए" की संपत्ति थी तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादीगण द्वारा दस्तावेज प्र.पी.1 लागायत 7 प्रस्तुत किए गए हैं, जो खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं। किन्तु वादीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि विवादित भूमि का स्वत्व व आधिपत्य "ए" को किस प्रकार प्राप्त हुआ। अपने प्रतिपरीक्षण में वादी साक्षी कं. 2, जो कि "ए" का पुत्र है, ने यह कथन किया है कि विवादित भूमि का पट्टा उसके पिता को प्राप्त हुआ था, किन्तु वादीगण द्वारा उक्त पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित भूमि "ए" को किस प्रकार प्राप्त हुई। वादीगण की ओर से ऐसा भी कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें उनका आधिपत्य दर्ज हो।

प्रतिवादी की साक्ष्य :- प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 "बी" जो कि राज्य शासन का अधिकारी है, ने प्रतिवादीगण के प्रकरण का समर्थन करते हुए दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। उसकी ओर से प्र.डी.1 लागायत प्र.डी. 4 के दस्तावेज प्रमाणित किये गये हैं। विद्यादित भूमि खसरा पांचसाला वर्ष 2011-12 प्र.डी. 1 तथा खसरा पांचसाला वर्ष 2014-15 प्र.डी.2 में शासकीय भूमि दर्ज है। गजट नोटिफिकेशन प्र.डी.3 तथा वन विभाग का नक्शा प्र.डी.4 विवादित भूमि संरक्षित वन घोषित के रूप में दर्शित है।

तर्क वादी :- वादी के तर्क के अनुसार विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी मृतक ए था। वादी क. 'ए1. मृतक का पुत्र तथा वादी क. ए2' मृतक ए की पत्नी है। ए की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। चूंकि वादीगण मृतक ए के उत्तराधिकारी हैं। अतः ए की मृत्यु के बाद वे विवादित भूमि के स्वामी हैं। तर्क प्रतिवादी :- वादीगण विवादित भूमि के स्वामी नहीं हैं। विवादित भूमि नोटिफिकेशन नं. 8894-408-10-68, दिनांक 30/10/1968 तथा गजट नोटिफिकेशन दिनांक

31.01.1969 में विवादित भूमि संरक्षित वन घोषित की जा चुकी है। वादीगण का विवादित भूमि पर कोई स्वत्व तथा आधिपत्य नहीं है।

निर्णय/आदेश (दाण्डिक) लेखन (JMFC) / JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

Q.4

Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law.

Prosecution Case :- On 15-05-2007 at about 11.00 p.m. Complainant "A" was sleeping in his open varanda at vinoba Nagar under police staion, Tar Bahar, Bilaspur. Suddenly some one struck on his head. He got up and saw that "B" was running with a knife in his hand. A raised an alarm and his





neighbor "C" came running. They chased "B" and caught him. At about 11.30 p.m. complainant "A" lodged a report in Police station Tar Bahar, that on account of old enmity, "B" had attacked "A".

Blood stains were found on the clothes of "B". Knife and blood stained clothes were seized from him. On medical examination of "A" incised wound was found over his forehead. Injury was caused by a sharp edged weapon and was simple in nature. On Chemical examination presence of human blood was confirmed on the clothes and knife recovered from "B". Statements under Section 161 C.P.C. Were recorded. After completion of investigation charge sheet was filed.

Defence Plea :- Accused "B" on being charged abjured his guilt and pleaded innocence.

Evidence for prosecution :- Evidence was adduced on behalf of the prosecution, which substantially supported the prosecution case. In court "A" Stated that On 15-05-2007 at about 11.00 p.m. he was sleeping in his open veranda suddenly some one struck on his head. He got up and saw that "B" was running with a knife in his hand. He raised an alarm, and his neighbor "C" came running. They chased "B" and caught him. On account of old enmity "B" assaulted him with knife. In cross examination "A" admitted that he had not seen accused inflicting injury. And also admitted that accused is his younger brother. "C" stated that he saw "B" running with knife and caught him. There was an injury on the forehead of "A". He also saw bloodstains in the clothes of "B". Doctor who had examined "A" gave details of injuries sustained by "A" but denied the possibility that the injury may be caused by fall. The investigating officer gave details of first information report lodged by "A". He also gave details of knife and clothes recovered from "B".

On being examined under Section 313 Cr.P.C. the accused stated that he was innocent and had been falsely implicated on account of old enmity. Accused did not give any explanation regarding the presence of human blood on knife and clothes seized from him.

On being examined under Section 313 Cr.P.C. the accused stated that he was innocent and had been falsely implicated on account of old enmity. Accused did not give any explanation regarding the presence of human blood on knife and clothes seized from him.

Evidence for defence: - Accused did not produce any evidence in defence.

Arguments of Prosecutor :- On behalf of the prosecution. prosecutor argued that on the basis of evidence adduced, prosecution has proved the guilt of the accused beyond the shadow of reasonable doubt.

Arguments of Defence Counsel:- On behalf of the accused It has been argued that there is no evidence that any body saw the accused inflicting the injury. Chemical examination report is not sufficient to hold the accused guilty. Accused is innocent and twenty years of age and only bread earner of his family. On account of old enmity he has been falsely implicated.

नीचे दिये गये अमियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये -

अभियोजन का प्रकरण :- 15.05.2007 को रात्रि लगभग 11 बजे परिवादी अ थाना तार बहार, बिलासपुर अंतर्गत विनोबा नगर में अपने खुले बरामदे में सो रहा था। अचानक ही किसी ने उसके सिर पर प्रहार किया। वह जाग उठा तथा उसने देखा कि "ब" अपने हाथ में चाकू लिये भाग रहा था परिवादी के चिल्लाने पर उसका पड़ोसी "स" दौड़ता हुआ आया। उन्होंने "ब" का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। रात्रि लगभग 11:30 बजे, परिवादी "अ" ने थाना तार बहार में रिपोर्ट दर्ज करायी कि पुरानी शत्रुता के कारण "ब" ने 'अ' पर आक्रमण किया था।

"ब" के वस्त्रों पर रक्त के धब्बे पाये गये। चाकू और रक्त से सने हुए वस्त्रों को उससे अभिग्रहीत कर लिया गया। 'अ' की चिकित्सीय जाँच करने पर, उसके माथे पर उत्कीर्ण (कटा) घाव पाया गया। उपर्युक्त तेज धार वाले आयुध से कारित की गई थी और वह साधारण प्रकृति की थी। रासायनिक जाँच करने पर वस्त्रों व "ब" से जप्त चाकू पर मानव रक्त की विद्यमानता की पुष्टि की गई। द.प्र.सं. की धारा 161 के अधीन कथनों को अभिलिखित किया गया। अन्वेषण के पूर्ण होने के पश्चात्, आरोप पत्र दाखिल किया गया।





प्रतिरक्षा अभिवाक :- आरोपित होने पर अभियुक्त "ब" ने अपने दोष से इव्वार किया और निर्दिष्टता का अभिवाक किया।

अभियोजन की साक्ष्य :- अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश किया गया, जिससे अभियोजन प्रकरण का पर्याप्त रूप से समर्थन हुआ। न्यायालय में 'अ' ने यह अधिकथन किया कि वह 15.05.2007 को रात्रि लगभग 11 बजे अपने खुले बरामदे में सो रहा था। अचानक ही किसी ने उसके सिर पर प्रहार किया। वह जाग उठा तथा उसने देखा कि "ब" अपने हाथ में चाक लिये भाग रहा था। उसके चिल्लाने पर उसका पड़ोसी "स" दौड़ता हुआ आया। उन्होंने "ब" का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पुरानी शत्रुता के कारण "ब" ने उस पर चाकू से हमला किया था। प्रतिपरीक्षण में "अ" ने यह स्वीकार किया कि उसने "ब" को चोट पहुँचाते हुए नहीं देखा "ब" उसका छोटा भाई है। स ने यह अधिकथन किया कि उसने "ब" को दौड़ते हुए देखा था और उसे पकड़ लिया था। "अ" के माथे पर उपइति थी। उसने "ब" के वस्त्रों पर रक्त के धब्बों को भी देखा था। चिकित्सक, जिसने 'अ' की जाँच की थी, ने अ द्वारा उपगत की गई उपलब्धतियों के ब्योरे को विस्तार से बताया लेकिन इस संभावना से इंकार किया कि उपहति गिरने से कारित हुई डो। अन्वेषण अधिकारी ने अ द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का ब्यौरा दिया। उसने "ब" से बरामद किये गये चाकू तथा वस्त्रों का भी ब्यौरा दिया।

द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन परीक्षा किये जाने पर अभियुक्त ने यह कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे पुरानी शत्रुता के कारण मिथ्या आलिप्त किया गया है। अभियुक्त ने उससे अभिग्रहीत किये गये चाकू तथा वस्त्रों पर रक्त विद्यमानता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

बचाव साक्ष्य :- अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

अभियोजक का तर्क :- अभियोजन की ओर से अभियोजक ने यह तर्क किया कि पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन ने अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है। बचाव अधिवक्ता का तर्क :- यह तर्क किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को किसी ने चोट कारित करते हुए देखा हो। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त 20 वर्ष की आयु का है व अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। पुरानी शत्रुता के कारण उसे मिथ्या आलिप्त किया गया है।

